



कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

(राजस्व भवन, नाका चन्द्रबदनी, नीडम रोड, ग्वालियर (म.प्र.), पिन कोड:- 474009)
(e-Mail : clrgwa@nic.in, mp-lrs@mp.gov.in)

क्रमांक/ 1544

/MPLRS/PMKISAN/2025

भोपाल, दिनांक 15/10/2025

प्रति,

कलेक्टर

समस्त जिला

मध्यप्रदेश

विषय -पीएमकिसान योजना के तहत सस्पेंक्टेड हितग्राहियों के संबंध में।

संदर्भ -भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र दिनांक 09/10/2025

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हितग्राहियों को वर्ष में राशि रुपये 6000/- प्रदान की जाती है। भारत सरकार द्वारा निम्नानुसार वर्ग में सस्पेंक्टेड हितग्राहियों को वर्गीकृत किया गया है :-

1. Suspected cases of multiple members from the same family (spouse or minor)
2. Suspected cases where both previous and current landowner are active PM-KISAN beneficiary (from landowners after 01.02.2019)
3. Suspected cases of incorrect or invalid previous landowner details (for landowners after 01.02.2019)
4. Suspected cases of incorrect land transfer reasons (for landowners after 01.02.2019)

उक्त बिन्दु 01 हेतु मॉड्यूल पीएमकिसान लॉगिन में उपलब्ध कराया गया है, जिसके माध्यम से सत्यापन की कार्यवाही की जा सकती है, शेष बिन्दु क्रमांक 02, 03 एवं 04 हेतु पोर्टल पर Update Missing information सुविधा के माध्यम से हितग्राहियों द्वारा जानकारी अद्यतन कर पीएमकिसान लॉगिन के माध्यम से अनुमोदन किया जा सकता है, जिसकी SoP आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अतः उक्तानुसार कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कराना सुनिश्चित करें ताकि 21वीं किश्त हितग्राहियों को योजना का लाभ प्राप्त करने में कठिनाई न हो।
संलग्न-यथोपरि।

(अनुभा श्रीवास्तव) 15/10/25
आयुक्त भू-अभिलेख,
मध्यप्रदेश